भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1695

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ई-फार्मेसी का विनियमन

1695. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-फार्मेसी द्वारा दवाओं के ऑनलाइन विक्रय को वर्तमान में किन विनियमों के माध्यम से अभिशासित किया जाता है और तत्संबधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ऑनलाइन फार्मेसी के विभिन्न मॉडलों के बीच विनियामक अंतर करती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) दवाओं की ऑनलाइन बिक्री संबंधी मसौदा नीति की क्या स्थिति है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के लिए, सरकार ने ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों की बिक्री और वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करने के लिए सा.का.नि.817 (अ) दिनांक 28.08.2018 के द्वारा मसौदा नियम प्रकाशित किए थे।

इन मसौदा नियमों में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, ई-फार्मेसी के आवधिक निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के वितरण अथवा बिक्री की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के विज्ञापन पर रोक, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि के प्रावधान शामिल हैं।

****